राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 1802/2008)

17 नवंबर 2008

(माननीय आर.वी. रवीन्द्रन और दलवीर भंडारी, जे.जे)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 200 परंतुक, खंड(अ) के अंतर्गत अपवाद- प्रयोज्यता- सरकारी कंपनी द्वारा अपने अधिकारी, जो एक लोक सेवक है, के माध्यम से चेक के अनादरण के परिवाद के संबंध में - चेक के अनादरण के मामले में, जहां परिवाद एक कंपनी (एक निगमित निकाय) भुगतानकर्ता है, विधिक रूप से परिवादी बन जाता है और इसका प्रतिनिधित्व करने वाला कर्मचारी वास्तविक परिवादी बन जाता है- यदि कर्मचारी-प्रतिनिधि एक लोक सेवक है, तो प्रावधान के अंतर्गत परंतुक लागू होता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 व 142.

शब्द और वाक्यांश- लोक सेवक- धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता व धारा 21 दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में।

वर्तमान अपील में विचार के लिए प्रश्न यह है कि जहां चेक के

अनादरण के संबंध में जहां एक परिवाद सरकारी कंपनी द्वारा किया जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व उसके अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो एक लोक सेवक है, ऐसी स्थिति में धार 200 के परंतुक के खंड(ए) के तहत खंड (ए) लागू होगा।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए यह अवधारित किया किः-

अभिनिर्धारित 1.1. सीआरपीसी की धारा 200 का उद्देश्य परिवादी और गवाहान के परीक्षण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और ऐसे परिवाद जो झूठे एवं परेशान करने वाले हो। एवं आरोपी बनाए गए व्यक्तियों को परेशान करने के आशय से की गई हों। उनमें आदेशिका जारी करने को रोकना है। जहां परिवादी एक लोक सेवक या न्यायालय है, वहां धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का खंड(ए) एक निहित वैधानिक उपधारणा को जन्म देता है कि परिवाद जिम्मेदारी पूर्वक और सद्भाव पूर्वक रूप से की गई है, न कि झूठी या परेशान करने वाली। ऐसी निहित उपधारणा के कारण, जहां परिवादी एक लोक सेवक है, विधि, आदेशिका जारी करने से पहले परिवादी और साक्षियों की परीक्षा से छूट देती है। जब किसी सरकारी कंपनी या वैधानिक निगम का कोई कर्मचारी, जो एक लोक सेवक है, अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करता है या कार्य करने का आशय रखता है, तो यह आवश्यक रूप से ऐसे लोक सेवक द्वारा किए गए कार्यों या कर्तव्यों

का निर्वहन, नियोक्ता के लिए किया जाना संदर्भित करता है। जो कि सरकारी कंपनी अथवा वैधानिक निगम है। अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने वाले किसी लोक सेवक (यदि वह किसी सरकारी कंपनी का कर्मचारी हो) द्वारा की गई कोई भी परिवाद केवल नियोक्ता कंपनी के संव्यवहार या मामलों के संबंध में हो सकती है। (पैरा 9) (93-सी-जी)

1.2. किसी चेक के अनादरण से संबंधित परिवाद में (जिसका भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा किसी के पक्ष में पृष्ठांकित नहीं किया गया हो), भुगतानकर्ता ही परिवादी हो सकता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 142 की यह अपेक्षा कि प्राप्तकर्ता परिवादी होना चाहिए, पूरी हो जाती है यदि परिवाद प्राप्तकर्ता के नाम पर है। यदि भुगतान प्राप्तकर्ता एक कंपनी है, तो आवश्यक रूप से परिवाद कंपनी के नाम पर दर्ज किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 142 यह निर्दिष्ट नहीं करती है कि यदि कोई कंपनी परिवादी है तो कंपनी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। किसी कंपनी का प्रतिनिधित्व किसी कर्मचारी या गैर-कर्मचारी द्वारा भी किया जा सकता है, जो किसी प्रस्ताव या पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत और सशक्त है। (पैरा 10) (94-डी-एफ, एच)

1.3. अधिनियम की धारा 138, यह आदिष्ट करती है कि भुगतानकर्ता चाहे साकार व्यक्ति हो या निराकार ही परिवादी होगा। धारा 200 सी.आर.पी.सी.

केवल एक साकार व्यक्ति को ही परिवादी मानता है। इसके लिए अनिवार्य रूप से परिवाद की जांच और सशपथ कथन पर परिवादी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता होती है। अधिनियम की धारा 142 एवं धारा 200 सी.आर.पी.सी. अक्षरशः पढ़े जाने पर परिणाम यह होगा कि (ए-) परिवादी को चेक का भुगतानकर्ता होना चाहिए और (बी) प्रक्रिया जारी करने से पहले परिवादी की जांच की जानी चाहिए और बयान पर परिवादी के हस्ताक्षर प्राप्त लिए जाने चाहिए। इसलिए, यदि भुगतानकर्ता एक कंपनी, एक निगमित निकाय है, तो उक्त निगमित निकाय ही परिवादी हो सकता है। धारा 200 सी.आर.पी.सी की अनिवार्य आवश्यकता यह है कि एक मजिस्ट्रेट परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान लेते हुए, शपथ पर परिवादी की जांच करेगा, और ऐसी परीक्षा का सार लिखित रूप में परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। एक निगमित निकाय स्पष्ट रूप से न तो साक्ष्य दे सकता है और न ही साक्ष्य पर हस्ताक्षर कर सकता है। यदि शाब्दिक निर्वचन को लागू किया जाता है तो यह एक असंभवता की ओर ले जाएगा क्योंकि एक निगमित निकाय परीक्षित किए जाने में असमर्थ है। ऐसी परिस्थितियों में, अधिनियम की धारा 142 और दंड प्रक्रिय संहिता की धारा 200 की सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या आवश्यक हो जाता है. (पैरा 11) (95-ए-ई)

1.4. जहां परिवादी एक कंपनी है, कंपनी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा और

ऐसी कार्यवाही में कंपनी का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाएगा, यह कंपनी से संबंधित विधि द्वारा शासित है एवं धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित नहीं है। धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता परिवादी की जांच अनिवार्य रूप से आवश्यक करती है और जहां परिवादी एक निगमित निकाय है, तो जाहिर रूप से उसकी ओर से केवल एक कर्मचारी या प्रतिनिधि से ही पूछताछ की जा सकती है। परिणामस्वरूप, कंपनी कानूनी रूप से परिवादी बन जाती है और उसका कर्मचारी या अन्य प्रतिनिधि, जो आपराधिक कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करता है, वास्तविक परिवादी बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक परिवाद में, जहां परिवादी एक निगमित निकाय है, एक वैधानिक परिवादी है और परिवादी वास्तविक परिवादी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के परंतुक का खंड (ए)। यह प्रावधान करता है कि जहां परिवादी एक लोक सेवक है, वहां परिवादी और उसके साक्षियों की जांच करना आवश्यक नहीं होगा। जहां परिवादी एक निगमित निकाय है जिसका प्रतिनिधित्व उसके कर्मचारियों में से एक द्वारा किया जाता है, कर्मचारी जो एक लोक सेवक है वह वास्तविक परिवादी है और परिवाद पर हस्ताक्षर करने में एवं परिवाद प्रस्तुत करने में, वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करता है। अतः दंड प्रक्रिया संहिता के परंतुक का खंड ए लागू होता है। (पैरा 11) (95-एफ-एच, 96-ए-बी)

1.5. जब किसी कंपनी या निगम के पक्ष में जारी किए गए चेक के

अनादरण के संबंध में परिवाद होता है, तो अधिनियम की धारा 142 के प्रयोजन के लिए, कंपनी परिवादी होगी, और धारा 200 सीआरपीसी के प्रयोजन के लिए, उसका कर्मचारी जो कंपनी या निगम का प्रतिनिधित्व करता है, वास्तविक परिवादी होगा। ऐसे परिवाद में, कानूनी रूप से परिवादी, अर्थात् कंपनी या निगम वही रहेगा, लेकिन ऐसे कानूनी परिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाला वास्तविक परिवादी (कर्मचारी) समय-समय पर बदल सकता है और यदि वास्तविक परिवादी एक लोक सेवक है, तो सीआरपीसी की धारा 200 के प्रावधानों के खंड (ए) के तहत परंतुक का लाभ प्राप्त होगा, भले ही परिवाद किसी कंपनी या निगम के नाम पर की गई हो। जहां एक निगमित निकाय आदाता है और जो कर्मचारी परिवाद में ऐसे निगमित निकाय का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक लोक सेवक है, वह वास्तविक परिवादी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के परंतुक के खंड(ए) लागू किया जाएगा और परिणामस्वरूप, मजिस्ट्रेट को परिवादी और साक्षियों से जांच की आवश्यकता नहीं होगी। (पैरा 13 और 14,) (98-डी-एफ, जी, एच)

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद 1998 (1) एससीसी 687 और दिल्ली नगर निगम बनाम जगदीश लाल 1969 (3) एससीसी 389 पर निर्दिष्ट किया गया।

निर्मल जीत सिंह हून बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1973

(3) एससीसी 753, संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

1973 (3) एससीसी 753	निर्दिष्ट किया गया।	पैरा 9
1998 (1) एससीसी 687	विश्वास किया गया।	पैरा 12
1969 (3) एससीसी 389	विश्वास किया गया।	पैरा 12

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार 2008 की आपराधिक अपील संख्या 1802।

2005 के सी.आर.आई.एम.सी 4489-4491 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 12.01.2007 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

साथ

आपराधिक अपील संख्या 1803-1821/2008

अपीलकर्ता की ओर से- शोभा, हरीश शर्मा, आर.पी. यादव, सनत कुमार और संजय शरावत।

उत्तरदाताओं की ओर से- विजय कुमार अग्रवाल, प्रभजीत जौहर, एस.एस जौहर, मनीष, शंकर वर्मा, अनुपम लाल दास और अमित शर्मा।

उत्तरदाताओं न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

आर. वी. रवीन्द्रन जे. 1. अनुमति दी गई। पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना। इन अपीलों में विचार के लिए विधि का निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न हुआ है जहां एक सरकारी कंपनी द्वारा चेक के अनादरण के संबंध में परिवाद की जाती है, जिसका इसके अधिकारी द्वारा, जो एक लोक सेवक है, प्रतिनिधित्व किया जाता है। क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के परंतुक के खंड (ए) के तहत दी गई छूट उपलब्ध होगी?

आपराधिक अपील संख्या 1802/2008 @सलप (सरल)No. 2009/2007)

2. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (संक्षेप में 'एनएसआईसी') - "यहां अपीलकर्ता, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के तहत उस अभिव्यक्ति के अर्थ में एक सरकारी कंपनी है। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना है। अपीलकर्ता ने महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली की अदालत में एक परिवाद दर्ज किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि दूसरी प्रतिवादी कंपनी ने अपने दायित्व के निर्वहन के लिए अपीलकर्ता के पक्ष में एक चेक जारी किया था, और भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने पर उक्त चेक अनादरित हो गया था। इसलिए अपीलकर्ता ने दूसरे प्रतिवादी और उसके निदेशकों (प्रतिवादी 3 और 4) को बुलाने और दंडित करने की प्रार्थना की।

3. दिनांक 04.2.2002 को विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और अभियुक्त को तलब किया। उन्होंने संहिता की धारा 200 के तहत परिवादी और उसके गवाहों से पूछताछ नहीं की। उन्होंने इस संबंध में निम्नलिखित कारण दर्ज किये।

> "परिवाद लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में दायर की गई है। इसलिए उसकी जांच को स्थगित कर दिया गया है। मैंने रिकॉर्ड का अवलोकन किया है और प्रस्तुतीकरण पर विचार किया है। मैंने मूल दस्तावेजों का भी अवलोकन किया है, मैं इसे प्रथम दृष्टया 138/142 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत मामला मानता हूं।"

उत्तरदाताओं 2 से 4 ने सम्मन आदेश को चुनौती देते हुए संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि परिवादी एक सरकारी कंपनी थी, कोई लोक सेवक नहीं, इसलिए प्रावधान के खंड (ए) के तहत छूट संहिता की धारा 200 उपलब्ध नहीं थी और यह कि विद्वान मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 200 के तहत शपथ पर परिवादी की जांच करने की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त नहीं कर सकता था। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तर्क पर उक्त तर्क पर इसे स्वीकार कर लिया कि

> "लोक सेवक को आईपीसी की धारा 21 में परिभाषित किया

गया है और एक सरकारी कंपनी उक्त धारा में उल्लिखित किसी भी विवरण के अंतर्गत नहीं आएगी। एक बार जब यह माना जाता है कि एनएसआईसी एक लोक सेवक नहीं है, तो धारा 200 का अधिदेश सीआरपीसी का पालन विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना था, जो परिवादकर्ता और उपस्थित गवाहों, यदि कोई हो, की शपथ पर अनिवार्य परीक्षा प्रदान करता है और ऐसे पूर्व-सम्मन साक्ष्य के आधार पर, मजिस्ट्रेट को यह निर्णय लेना होता है कि अपराध का संज्ञान लिया जाए या नहीं और आरोपी व्यक्तियों को समन जारी किया जाना है या नहीं, यह सीआरपीसी की धारा 200 के तहत निर्धारित स्पष्ट अनिवार्य प्रक्रिया है।"

परिणामस्वरूप, दिनांक 12.01.2007 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और सम्मन आदेश को रद्द कर दिया। हालाँकि इसने यह स्पष्ट कर दिया कि लीमेड मजिस्ट्रेट परिवादी और गवाहों के बयान दर्ज करने और उसके बाद संहिता की धारा 200 के अनुसार मामले में उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस अपील में उक्त आदेश को चुनौती दी गई है।

विवाद

4. अपीलकर्ता कंपनी ने कहा कि एक निगमित व्यक्ति होने के नाते, वह अपने अधिकारियों के माध्यम से कार्य करती है। उत्तरदाता 2 से 4 के खिलाफ दर्ज की गई परिवाद में, इसका प्रतिनिधित्व इसके विकास अधिकारी ने किया है, जो एक लोक सेवक है, और उसने इसकी ओर से परिवाद पर हस्ताक्षर किए हैं। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि अपीलकर्ता कानूनी तौर पर परिवादी था, उसका विकास अधिकारी जो परिवाद में उसका प्रतिनिधित्व करता है, वह वास्तविक परिवादी था और जब किसी सरकारी कंपनी द्वारा परिवाद पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और उसके कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो एक लोक सेवक है, तो उसे ऐसा करना चाहिए। अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहे ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई परिवाद माना जाएगा। परिणामतः, संहिता की धारा 200 के प्रावधान का खंड (ए) लागू होगा और मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने पर परिवादी और गवाहों की जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए यह तर्क दिया गया है कि एक सरकारी कंपनी द्वारा की गई परिवाद जिसका प्रतिनिधित्व उसका अधिकारी करता है जो एक लोक सेवक है, को एक लोक सेवक की परिवाद के रूप में माना जाना चाहिए।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 02 ने यह तर्क दिया कि संहिता की धारा 200 के परंतुक के खंड (ए) के शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि जहां परिवाद लिखित रूप में की गई है, मजिस्ट्रेट को परिवादी और साक्षियों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, (ए) एक लोक सेवक जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का आशय रखता है और (बी) एक न्यायालय। प्रतिवादी संख्या 02 ने तर्क दिया कि जहां परिवादी एक सरकारी कंपनी या वैधानिक निगम हो, तो यदि आशय ऐसी परीक्षा से छूट देने का होता तो खंड (ए) इस प्रकार पढ़ा जाता कि यदि परिवाद किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का आशय रखते हुए या किसी न्यायालय, वैधानिक निगम या सरकारी कंपनी के द्वारा किया गया हो, बजाय इसके कि एक लोकसेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का आशय रखते हुए अथवा न्यायालय द्वारा। यह तर्क दिया गया कि अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का आशय रखते हुए लोकसेवक शब्द का उपयोग यह दर्शित करता है कि छूट का लाभ केवल वहीं लागू होने का आशय है जहां सरकारी सेवक अथवा वैधानिक निकाय के कर्मचारी द्वारा अपने विधिक कर्तव्य के पालन में परिवाद करने की आवश्यकता हो। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 11 के दृष्टांत का संदर्भ लिया गया, जो यह प्रावधान करता है कि कोई भी न्यायालय अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं

लेगी, सिवाय उस व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे अपराध के तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के आधार पर, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में लोकसेवक के रूप में परिभाषित किया गया है।

6. दूसरे प्रतिवादी ने आगे तर्क दिया कि यदि किसी सरकारी कंपनी के सभी कर्मचारी लोक सेवक हैं, तो सरकारी कंपनी लोक सेवक नहीं बन जाती, क्योंकि उसकी अपने कर्मचारियों से अलग पहचान होती है। उक्त तर्क के समर्थन में, दूसरे प्रतिवादी ने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सहायक अधीक्षक वाणिज्यिक कर (एआईआर 1963 एससी 1811,) मामले के निम्न टिप्पणियों को निर्दिष्ट किया।''

> "हम यहां एक निगमित कंपनी के संबंध में विचार कर रहे हैं। निगमित कंपनी, जो विधि की एक संकल्पना से उत्पन्न होती है, के व्यक्तित्व की प्रकृति को अनिगमित कंपनी के विपरीत स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए, जिसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है और जिसे विधि अपने सदस्यों से अलग नहीं करती है। एक निगमित कंपनी का अलग अस्तित्व है और विधि इसे भिन्न और अपने सदस्यों से अलग विधिक व्यक्ति के रूप में मान्यता देती है। यह नया कानूनी व्यक्तित्व निगमन के क्षण से उत्पन्न होता है और उस तिथि से मेमोरेंडेम आफ एसोसिएशन की सदस्यता लेने

> वाले व्यक्ति और सदस्यों के रूप में शामिल होने वाले अन्य व्यक्तियों को एक निकाय कॉर्पोरेट या निगम समुच्चय के रूप में माना जाता है और नया व्यक्ति एक इकाई के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। लेकिन निगमित कंपनी बनाने वाले सदस्य अपनी स्थिति या अपने व्यक्तित्व को साझा नहीं करते हैं। यदि वे सभी भारत के नागरिक हैं तो कंपनी भारत की नागरिक नहीं बन जाती है, लेकिन यदि सभी विवाहित हैं तो कंपनी एक विवाहित व्यक्ति होगी। सदस्यों के व्यक्तित्व का निगमित कंपनी के व्यक्तित्व से कोई लेना-देना नहीं है। जो व्यक्तित्व अस्तित्व में आता है वह कानून या रूपक में व्यक्तित्व का समुच्चय नहीं है।"

(जोर दिया गया)

जवाब में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता ने कभी यह तर्क नहीं दिया कि वह एक लोक सेवक था। विवाद हमेशा यह था कि जिस कर्मचारी ने परिवाद में अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया था वह वास्तविक परिवादी था और वह लोक सेवक था, इसलिए छूट उपलब्ध थी।

कानूनी प्रावधान

7. परक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षेप में एनआई अधिनियम) यह उपबंधित करता है कि बैंक खाते में धन की अपर्याप्तता के लिए चेक का अनादरण इतनी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी तथा उतनी राशि के जुर्माने से, जो चैक की राशि से दुगुनी तक हो सकेगी, अथवा दोनों से दंडनीय अपराध है। एनआई अधिनियम की धारा 142 में प्रावधान है कि इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय। धारा 138 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के लिए, चेक के अधीन राशि प्राप्त करने वाले अथवा सामान्य अनुक्रम में चैक के धारक के लिखित परिवाद के सिवाय, प्रसंज्ञान नहीं लेगा।

8. संहिता की धारा 190 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने के विभिन्न तरीकों की गणना करती है। यह उन तथ्यों की परिवाद प्राप्त होने पर संज्ञान लेने का प्रावधान करता है जो ऐसे अपराध का गठन करते हैं। संहिता की धारा 200 परिवादी की जांच से संबंधित है। जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः-

> ''200. परिवादी की परीक्षा - परिवाद पर अपराध का संज्ञान लेने वाला एक मजिस्ट्रेट शपथ पर परिवादी और उपस्थित गवाहों, यदि कोई हो, की जांच करेगा, और ऐसी परीक्षा का सार लिखित रूप में लिखा जाएगा और परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और गवाहों द्वारा, और मजिस्ट्रेट

द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा।

बशर्ते कि, जब परिवाद लिखित रूप में की जाती है, तो मजिस्ट्रेट को परिवादी और गवाहों की जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ए) यदि कोई लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का आशय रखता है या न्यायालय ने परिवाद की है या

(बी) xxxxx''

संहिता में शब्द लोक सेवक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यद्यपि, संहिता की धारा 2(ल) में प्रावधान है कि जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है, लेकिन संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत दिया गया है। आईपीसी की धारा 21 लोक सेवक को परिभाषित करती है, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है।

''21. लोक सेवक-शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो एतस्मिन पश्चात् वर्णन में से किसी में आता है।

बारहवां-हर व्यक्ति जो- (बी) किसी स्थानीय प्राधिकारी की, अथवा केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम के तहत या

उसके अधीन स्थापित निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 67 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की, सेवा या वेतन में हो।"

उपरोक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता जो एक सरकारी कंपनी है, वह लोकसेवक नहीं है, किंतु अपीलकर्ता का प्रत्येक कर्मचारी ''लोकसेवक'' है।

विचारणीय बिंदुः-

9. परिवादी और गवाहों की जांच की आवश्यकता वाली संहिता की धारा 200 का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं और उन परिवादों पर आदेशिका जारी करने से रोकना है जो झूठी या उन व्यक्तियों को जिन्हें अभियुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया। परेशान करने वाली हैं या परेशान करने के आशय से हैं। (देखें निर्मलीत सिंह हून बनाम पश्चिम बंगाल राज्य-1973 (3) एससीसी 753)। जहां परिवादी एक लोक सेवक या न्यायालय है, संहिता की धारा 200 के प्रावधान का खंड (ए) एक निहित वैधानिक अवधारणा को जन्म देता है कि परिवाद जिम्मेदारीपूर्वक और प्रामाणिक रूप से की गई है, न कि झूठी या परेशान करने वाली। ऐसी निहित अवधारणा के कारण, जहां परिवादी एक लोक सेवक है, विधि आदेशिका जारी करने से पहले परिवादी और गवाहों की परीक्षा से छूट देता है। जब किसी सरकारी

कंपनी या वैधानिक निगम का कोई कर्मचारी, जो एक लोक सेवक है, अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करता है या कार्य करने का आशय रखता है, तो यह आवश्यक रूप से ऐसे लोक सेवक द्वारा किए गए कार्यों या कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए और उसकी ओर से करना बताता है। उसका नियोक्ता, अर्थात् सरकारी कंपनी अथवा वैधानिक निगम। अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने वाले किसी लोकसेवक (यदि वह किसी सरकारी कंपनी का कर्मचारी हो) द्वारा की गई कोई भी परिवाद केवल नियोक्ता कंपनी के संव्यवहार या मामलों के संबंध में हो सकती है। जब सरकारी कंपनी के संव्यवहार के संबंध में कोई अपराध किया जाता है, तो यह कहना अतार्किक होगा कि ऐसे अपराध के संबंध में परिवाद, यदि उसके लिए काम करने वाले किसी कर्मचारी द्वारा की गई हो। कंपनी की ओर से संहिता की धारा 200 के परंतुक के खंड (ए) के तहत छूट का लाभ होगा, लेकिन उसी अपराध के संबंध में परिवाद, यदि उक्त कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी के नाम पर की जाती है, ऐसी छूट का लाभ नहीं मिलेगा, दूसरे प्रतिवादी का तर्क, यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि विकास अधिकारी, एनएसआईसी द्वारा परिवाद के रूप में परिवादी छूट का लाभ उठा सकता है, परिवादी के रूप में उसके विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत एनएसआईसी द्वारा की गई परिवाद को छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह के बेतुके भेद से स्पष्ट रूप से बचा जाना चाहिए।

10. परिवादी शब्द को संहिता के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 142 एनआई अधिनियम के तहत उस अधिनियम की धारा 138 के तहत एक परिवाद की आवश्यकता होती है, जो प्राप्तकर्ता (या उचित समय पर धारक द्वारा) द्वारा की जानी चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी चेक के अनादरण से संबंधित परिवाद में (जिसका भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा किसी के पक्ष में पृष्ठांकित नहीं किया गया हो), भुगतानकर्ता ही परिवादी हो सकता है। एनआई अधिनियम की धारा 138 अपराध का संज्ञान लेने का तरीका एवं चैक के अनादरण को दंडनीय अपराध उपबंधित करती है। यद्यपि, कार्यवाही शुरू करने, सुनवाई करने और ऐसी परिवादों के निपटान से संबंधित प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित होती है। संहिता की धारा 200 में यह आवश्यक है कि मजिस्ट्रेट, परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान लेते समय, शपथ पर परिवादी और उपस्थित गवाहों की जांच करेगा और ऐसी परीक्षा का सार लिखित रूप में लिखा जाएगा और परिवादी और गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। एनआई अधिनियम की धारा 142 की यह आवश्यकता कि भुगतान प्राप्तकर्ता परिवादी होना चाहिए, पूरी हो जाती है यदि परिवाद प्राप्तकर्ता के नाम पर है। यदि भुगतान प्राप्तकर्ता एक कंपनी है, तो आवश्यक रूप से परिवाद कंपनी के नाम पर दर्ज की जानी चाहिए। एनआई अधिनियम की धारा 142 यह निर्दिष्ट नहीं करती है कि

यदि कोई कंपनी परिवादी है तो कंपनी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। किसी कंपनी का प्रतिनिधित्व किसी कर्मचारी या गैर-कर्मचारी द्वारा भी किया जा सकता है, जो किसी प्रस्ताव या पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत और सशक्त है।

11. धारा 138 एनआई अधिनियम में कहा गया है कि केवल भुगतानकर्ता, चाहे वह साकार व्यक्ति हो या निराकार व्यक्ति, परिवादी होगा। संहिता की धारा 200 केवल एक शारीरिक व्यक्ति को ही परिवादी मानती है। इसके लिए अनिवार्य रूप से परिवादी की जांच और शपथपूर्वक दिए गए बयान पर परिवादी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता होती है। यदि एनआई अधिनियम की धारा 142 और संहिता की धारा 200 को शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए, तो परिणाम यह होगा (ए) परिवादी को चेक का भुगतानकर्ता होना चाहिए और (बी) प्रक्रिया जारी करने से पहले परिवादी की जांच की जानी चाहिए और साक्ष्य पर परिवादी के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए। इसलिए, यदि प्राप्तकर्ता एक कंपनी है, एक निराकार निकाय है, तो उक्त निराकार निकाय अकेले ही परिवादी हो सकता है। संहिता की धारा 200 की अनिवार्य आवश्यकता यह है कि एक मजिस्ट्रेट परिवाद पर अपराध का संज्ञान लेते हुए, परिवादी की शपथ पर जांच करेगा, और ऐसी परीक्षा के सार को लिखित रूप में परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। एक निराकार शरीर स्पष्ट रूप से न तो साक्ष्य दे सकता है और न ही

साक्ष्य पर हस्ताक्षर कर सकता है। यदि शाब्दिक व्याख्या लागू की जाती है, तो यह एक असंभवता की ओर ले जाएगा क्योंकि एक निराकार शरीर जांच करने में असमर्थ है। इन परिस्थितियों में, एनआई अधिनियम की धारा 142 और संहिता की धारा 200 की सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या आवश्यक हो जाती है। धारा 142 में केवल यह आवश्यक है कि परिवाद भुगतान प्राप्तकर्ता के नाम पर होनी चाहिए। जहां परिवादी, एक कंपनी है, कंपनी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा और ऐसी कार्यवाही में कंपनी का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाएगा, यह संहिता द्वारा नहीं, बल्कि कंपनियों से संबंधित प्रासंगिक कानून द्वारा शासित होता है। संहिता की धारा 200 में अनिवार्य रूप से परिवादी की जांच की आवश्यकता होती है, और जहां परिवादी एक निगमित निकाय है, तो जाहिर तौर पर उसकी ओर से केवल एक कर्मचारी या प्रतिनिधि की जांच की जा सकती है। परिणामस्वरूप, कंपनी विधिक रूप से परिवादी बन जाती है और उसका कर्मचारी या अन्य प्रतिनिधि, जो आपराधिक कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करता है, वास्तविक परिवादी बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक परिवाद में, जहां परिवादी एक निगमित निकाय है, वहां परिवादी विधिक परिवादी है तथा परिवाद वास्तविक धारा 200 के परंतुक का खंड (ए) यह उपबंधित करता है कि जहां परिवादी एक लोक सेवक है, वहां परिवादी और उसके गवाहों से पूछताछ करना आवश्यक नहीं होगा। जहां परिवादी एक निगमित निकाय है जिसका प्रतिनिधित्व उसके कर्मचारियों में से एक द्वारा किया जाता है,

कर्मचारी जो एक लोक सेवक है वह वास्तविक परिवादी है और परिवाद पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने में, वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करता है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि ऐसे मामलों में, संहिता की धारा 200 के प्रथम परंतुक के खंड (ए) के तहत छूट उपलब्ध होगी।

12. एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद 1998 (1) एससीसी 687, मामले में इस न्यायालय के दो निर्णयों से हम अपने विचार में पुष्ट होते हैं, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया।

"नई संहिता के अध्याय XV में मजिस्ट्रेट के पास परिवाद दर्ज करने के प्रावधान हैं। धारा 200 उस अध्याय के शुरुआती प्रावधान के रूप में मजिस्ट्रेट को, जो परिवाद पर अपराध का संज्ञान लेता है, को आदेश देती है कि परिवादी की शपथ पर जांच करें। ऐसी जांच अनिवार्य है जैसा कि शब्दों से समझा जा सकता है। परिवादी की शपथ पर जांच की जाएगी...... मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी जांच के सार को लिखित रूप में सीमित तथा ऐसा सार परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। शपथ पर दिए गए बयान पर विचार करने के बाद यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं तो धारा 203 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है। शपथ पर परिवादी की ऐसी जांच केवल दो स्थितियों में ही की जा सकती है, प्रथम, यदि परिवाद किसी

लोक सेवक द्वारा अथवा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए अथवा कार्य करने का आशय रखते हुए और दूसरा, जब परिवाद किसी न्यायालय द्वारा किया गया हो। उपरोक्त पस्थितियों को छोड़कर, परिवादी को मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के लिए अपनी भौतिक उपस्थिति बनानी होती है। नई संहिता की धारा 255 या धारा 249 मजिस्ट्रेट को परिवादी के अनुपस्थित होने पर परिवाद को खारिज करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, जिसका अर्थ है उसकी शारीरिक अनुपस्थिति है।

नई संहिता की उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि परिवादी को एक शारीरिक व्यक्ति होना चाहिए जो न्यायालय में शारीरिक उपस्थिति बनाने में सक्षम हो। इसका परिणाम यह है कि भले ही कोई परिवाद किसी निगमित व्यक्ति (जैसे किसी कंपनी या निगम) के नाम पर की जाती है, यह आवश्यक है कि एक प्राकृतिक व्यक्ति न्यायालय में ऐसे विधिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करे और सभी व्यावहारिक उद्देश्य के लिए वह प्राकृतिक व्यक्ति प्रकरण में परिवादी माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब परिवादी एक निगमित निकाय है तो वह विधिक रूप से परिवादी है, और उसे न्यायिक कार्यवाही में परिवादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मनुष्य को वास्तविक परिवादी के रूप में जोड़ना होगा।

(जोर दिया गया)

दिल्ली नगर निगम बनाम जगदीश लाल (1969 (3) एससीसी 389)

मामले में तथ्य यह थे कि दिल्ली नगर निगम ने एक प्रस्ताव द्वारा लोक अभियोजक को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत किया था। तदनुसार, लोक अभियोजक एस.एस.माथुर ने प्रतिवादी के खिलाफ परिवाद दर्ज की। विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी को बरी कर दिया। पुरानी संहिता की धारा 417 में यह प्रावधान है कि जहां किसी भी मामले में बरी करने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा परिवाद पर पारित किया गया था, जिसमें परिवादी द्वारा किए गए आवेदन पर बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति देते हुए अपील, परिवादी एक प्रस्तुत कर सकता है। दिल्ली नगर निगम के बरी करने के आदेश के खिलाफ धारा 417 के तहत विशेष अनुमति के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया। आवेदन मंजूर किया गया। जब अपील सुनवाई के लिए आई तो प्रतिवादी ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि चूंकि परिवाद लोक अभियोजक एस.एस.माथुर द्वारा दायर की गई थी, इसलिए वह अकेले ही अपील दायर करने में सक्षम थे, न कि नगर निगम। यह तर्क दिया गया कि चूंकि विशेष अनुमति मांगने का आवेदन परिवादी द्वारा नहीं, बल्कि नगर निगम द्वारा दायर किया गया था, इसलिए अपील सुनवाई योग्य नहीं थी। उक्त तर्क को इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की, कि चूंकि एस.एस. माथुर, लोक अभियोजक, परिवादी थे इसलिए दिल्ली नगर निगम विशेष अनुमति के लिए आवेदन करने में

सक्षम नहीं था। इस न्यायालय ने यह ध्यान में लिया कि लोक अभियोजक एस.एस.माथुर ने दिल्ली नगर निगम द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारिता के अंतर्गत परिवाद दायर किया। इस न्यायालय ने यह अवधारित किया कि परिवाद दायर करने में एस.एस. माथुर अपने व्यक्तिगत हैसियत से कार्य नहीं किया, बल्कि दिल्ली नगर निगम के अभिकर्ता के रूप में कार्य किया। अतः यह माना जाएगा कि दिल्ली नगर निगम इस प्रकरण में परिवादी था तथा एस.एस. माथुर अपने प्रतिनिधिक क्षमता में कार्य कर रहे थे तथा इस प्रकार दिल्ली नगर निगम परिवादी था। इस प्रकार विशेष अनुमति के लिए आवेदन उचित रूप से संस्थित किया गया था।

13. परिणामस्वरूप, जब किसी कंपनी या निगम के पक्ष में जारी किए गए चेक के अनादर के संबंध में परिवाद होता है, तो धारा 142 एनआई अधिनियम के प्रयोजन के लिए, कंपनी परिवादी होगी, और संहिता की धारा 200 के प्रयोजन के लिए, उसका कर्मचारी जो कंपनी या निगम का प्रतिनिधित्व करता है, वास्तविक परिवादी होगा। ऐसे परिवाद में, विधिक रूप से परिवादी, अर्थात् कंपनी या निगम वही रहेगा, लेकिन ऐसे विधिक परिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाला वास्तविक परिवादी (कर्मचारी) समय-समय पर बदल सकता है और यदि वास्तविक परिवादी एक लोक सेवक है, तो संहिता की धारा 200 के प्रावधानों के खंड (ए) के तहत छूट

का लाभ उपलब्ध होगा, भले ही परिवाद किसी कंपनी या निगम के नाम पर की गई हो।

14. इस प्रकार, विचारणीय प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगाः-

जहां एक निगमित निकाय आदाता है और जो कर्मचारी परिवाद में ऐसे निगमित निकाय का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक लोक सेवक है, वह वास्तविक परिवादी है, संहिता की धारा 200 के परंतुक के खंड (ए) को लागू किया जाएगा और परिणामस्वरूप, मजिस्ट्रेट को परिवादी और साक्षियों से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अपील अनुमत की जाती है तथा उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है एवं मजिस्ट्रेट का आदेशिका जारी करने का आदेश बहाल किया जाता है।

आपराधिक अपील संख्या 1802/2008 (@SPL (Crl.) Nos. 7276-7294/2007)

मुख्य मामले में निर्णय के बाद, इन अपीलों की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेशों को निरस्त किया जाता है। सम्मन आदेश बहाल कर दिए गए हैं।

के.के.टी.

अपील अनुमत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ''सुवास'' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **सुरेंद्र सोनी, आर.जे.एस.** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक व आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

(श्री सुरेन्द्र सोनी, आर.जे.एस)